

GST – CONCEPT & STATUS

INTRODUCTION:

The introduction of Goods and Services Tax on the 1st of July 2017 was a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. By amalgamating a large number of Central and State taxes into a single tax, the aim was to mitigate cascading or double taxation in a major way and pave the way for a common national market. From the consumer point of view, the biggest advantage would be in terms of a reduction in the overall tax burden on goods, which was estimated to be around 25%-30%. Introduction of GST would also make Indian products competitive in the domestic and international markets. Studies show that this would have a boosting impact on economic growth. Last but not the least, this tax, because of its transparent and self-policing character, would be easier to administer.

GENESIS:

2. The idea of moving towards the GST was first mooted by the then Union Finance Minister in his Budget for 2006-07. Initially, it was proposed that GST would be introduced from 1st April, 2010. The Empowered Committee of State Finance Ministers (EC) which had formulated the design of State VAT was requested to come up with a roadmap and structure for the GST. Joint Working Groups of officials having representatives of the States as well as the Centre were set up to examine various aspects of the GST and draw up reports specifically on exemptions and thresholds, taxation of services and taxation of inter-State supplies. Based on discussions within and between it and the Central Government, the EC released its First Discussion Paper (FDP) on GST in November, 2009. This spelled out the features of the proposed GST and has formed the basis for discussion between the Centre and the States.

GST AND CENTRE-STATE FINANCIAL RELATIONS:

3. The fiscal powers between the Centre and the States are clearly demarcated in the Constitution with almost no overlap between the respective domains. The Centre was given the powers to levy tax on the manufacture of goods (except alcoholic liquor for human consumption, opium, narcotics etc.) while the States were given the powers to levy tax on sale of goods. In case of inter-State sales, the Centre had the power to levy a tax (the Central Sales Tax) but, the tax was collected and retained entirely by the originating States. As for services, it was the Centre alone that is empowered to levy service tax. Since the States are not empowered to levy any tax on the sale or purchase of goods in the course of their importation into or exportation from India, the Centre levies and collects this tax as additional duties of customs, which is in addition to the Basic Customs Duty. This additional duty of customs (commonly known as CVD and SAD) counter balances excise duties, sales tax, State VAT and other taxes levied on the like domestic product.

4. Introduction of GST required amendments in the Constitution so as to concurrently empower the Centre and the States to levy and collect the GST. The assignment of concurrent jurisdiction to the Centre and the States for the levy of GST required a unique institutional mechanism to ensure that decisions about the structure, design and operation of GST are taken jointly by the two. For it to be effective, such a mechanism also needed to have Constitutional force.

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND FIRST) AMENDMENT ACT, 2016:

5. To address all these and other issues, the Constitution (122nd Amendment) Bill was introduced in the 16th Lok Sabha on 19.12.2014. The Bill provides for a levy of GST on supply of all goods or services except for Alcohol for human consumption. The tax shall be levied as dual GST separately but concurrently by the Union (central tax - CGST) and the States (including Union Territories with legislatures) (State tax - SGST) / Union territories without legislatures (Union territory tax- UTGST). The Parliament would have exclusive power to levy GST (integrated tax - IGST) on inter-State trade or commerce (including imports) in goods or services. The Central Government will have the power to levy excise duty in addition to the GST on tobacco and tobacco products. The tax on supply of five specified petroleum products namely crude, high speed diesel, petrol, ATF and natural gas would be levied from a later date on the recommendation of GST Council.

6. A Goods and Services Tax Council (GSTC) was constituted comprising the Union Finance Minister, the Minister of State (Revenue) and the State Finance Ministers to recommend on the GST rate, exemption and thresholds, taxes to be subsumed and other features. This mechanism would ensure some degree of harmonization on different aspects of GST between the Centre and the States as well as across States. One half of the total number of members of GSTC would form quorum in meetings of GSTC. Decision in GSTC would be taken by a majority of not less than three-fourth of weighted votes cast. Centre and minimum of 20 States would be required for majority because Centre would have one-third weightage of the total votes cast and all the States taken together would have two-third of weightage of the total votes cast.

7. The Constitution Amendment Bill was passed by the Lok Sabha in May, 2015. The Bill was referred to the Select Committee of Rajya Sabha on 12.05.2015. The Select Committee had submitted its Report on the Bill on 22.07.2015. The Bill with certain amendments was finally passed in the Rajya Sabha and thereafter by Lok Sabha in August, 2016. Further the bill after ratification by the required number of States received assent of the President on 8th September, 2016 and has since been enacted as Constitution (101st Amendment) Act, 2016 w.e.f. 16th September, 2016.

GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL (GSTC):

8. The GSTC has been notified with effect from 12th September, 2016. GSTC is being assisted by a Secretariat. Twenty three meetings of the GSTC have been held so far. The following major decisions have been taken by the GSTC:
- i. The threshold exemption limit would be Rs. 20 lakh. For special category States (except J&K) enumerated in article 279A of the Constitution, threshold exemption limit has been fixed at Rs. 10 lakh.
 - ii. Composition threshold shall be Rs. 75 lakhs. Composition scheme shall not be available to inter-State suppliers, service providers (except restaurant service) and specified category of manufacturers. For special category States (except J&K and Uttarakhand) enumerated in article 279A of the Constitution, threshold exemption limit has been fixed at Rs. 75 lakhs.
 - iii. Existing tax incentive schemes of Central or State governments have been continued by respective government by way of reimbursement through budgetary route. The schemes, in the present form, would not continue in GST. Further, 50% exemption of the CGST portion will be provided to CSD (Defense Canteen).
 - iv. There would be four tax rates namely 5%, 12%, 18% and 28%. The tax rates for different goods and services have been finalized. Besides, some goods and services would be under the list of exempt items. The list of exempted services is the same as under the service tax law, except services supplied by Goods and Services Tax Network which is the addition to the list of exempted services under service tax. Rate for precious metals is an exception to 'four-tax slab-rule' and the same has been fixed at 3%. A cess over the peak rate of 28% on certain specified luxury and demerit goods, like tobacco and tobacco products, pan masala, aerated waters, motor vehicles, would be imposed for a period of five years to compensate States for any revenue loss on account of implementation of GST. The list of services in case of which reverse charge would be applicable has also been finalized.
 - v. The GSTC has recommended five laws namely CGST Law, UTGST Law, IGST Law, SGST Law and GST Compensation, which have been subsequently passed by the Parliament.
 - vi. In order to ensure single interface, all administrative control over 90% of taxpayers having turnover below Rs. 1.5 crore would vest with State tax administration and over 10% with the Central tax administration. Further all administrative control over taxpayers having turnover above Rs. 1.5 crore shall be divided equally in the ratio of 50% each for the Central and State tax administration. Administrative orders are being issued in the States detailing the division of taxpayers.
 - vii. Powers under the IGST Act shall also be cross-empowered on the same

basis as under CGST and SGST Acts with few exceptions.

- viii. Power to collect GST in territorial waters shall be delegated by Central Government to the States.
- ix. Formula and mechanism for GST Compensation Cess has been finalised.
- x. Rules relating to composition, registration, valuation, input tax credit, invoice, accounts and records, returns, payment, refund, assessment and audit, advance ruling, appeals and revision, transitional provisions, anti-profiteering, E-way Bill, inspection, search and seizure, demands and recovery and offences and penalties have been recommended and notified.
- xi. www.gst.gov.in, managed by GSTN, shall be the Common Goods and Services Tax Electronic Portal.
- xii. Rate of interest on delayed payments and delayed refund has been recommended and notified.
- xiii. The rules for the National Anti-Profiteering Authority have been recommended by the GST Council, and a selection committee under the Chairmanship of Cabinet Secretary for identification of eligible person for appointment of Chairmen and Members of National Anti-Profiteering Authority has been appointed.
- xiv. Deemed export benefit has been given to supplies of goods against advance authorisation, EPCG and supplies to EOUs.

SALIENT FEATURES OF GST:

- 9. The salient features of GST are asunder:
 - (i) GST is applicable on “supply” of goods or services as against the principle of tax on the manufacture of goods or on sale of goods or on provision of services.
 - (ii) GST is based on the principle of destination based consumption taxation as against the principle of origin-based taxation.
 - (iii) It is a dual GST with the Centre and the States simultaneously levying it on a common base. The GST levied by the Centre is called the central GST (central tax- CGST) and that levied by the States [including Union territories with legislature] is called State GST(state tax- SGST). Union territories without legislature levy the Union territory GST (union territory tax- UTGST).
 - (iv) An Integrated GST (integrated tax- IGST) is levied on inter-State supply (including stock transfers) of goods or services. This is collected by the Centre so that the credit chain is not disrupted.
 - (v) Import of goods is treated as inter-State supplies and is subject to IGST in addition to the applicable customs duties.
 - (vi) Import of services is treated as inter-State supplies and subject to IGST.

- (vii) CGST, SGST /UTGST& IGST is levied at rates mutually agreed upon by the Centre and the States under the aegis of the GSTC.
- (viii) GST has replaced the following taxes levied and collected by the Centre:
 - a) Central Excise Duty;
 - b) Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations);
 - c) Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance);
 - d) Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products);
 - e) Additional Duties of Customs (commonly known as CVD);
 - f) Special Additional Duty of Customs (SAD);
 - g) Service Tax;
 - h) Cesses and surcharges insofar as they relate to supply of goods or services.
- (ix) State taxes that have been subsumed within the GST are:
 - a) State VAT;
 - b) Central Sales Tax;
 - c) Purchase Tax;
 - d) Luxury Tax;
 - e) Entry Tax (All forms);
 - f) Entertainment Tax (except those levied by the local bodies);
 - g) Taxes on advertisements;
 - h) Taxes on lotteries, betting and gambling;
 - i) State cesses and surcharges insofar as they relate to supply of goods or services.
- (x) GST applies to the supply of all goods and services except Alcohol for human consumption.
- (xi) GST on five specified petroleum products (Crude, Petrol, Diesel, ATF & Natural gas) would be applicable from a date to be recommended by the GSTC.
- (xii) Tobacco and tobacco products is subject to GST. In addition, the Centre would continue to levy Central Excise duty.
- (xiii) A common threshold exemption applies to both CGST and SGST. Taxpayers with an annual turnover of Rs. 20 lakh (Rs. 10 lakh for special category States (except J&K) as specified in article 279A of the Constitution) would be exempt from GST.
- (xiv) A compounding option (i.e. to pay tax at a flat rate without credits) is available to small taxpayers (including to manufacturers other than

specified category of manufacturers and service providers) having an annual turnover of up to Rs. 1 Crore (Rs. 75 lakh for special category States (except J&K and Uttarakhand) enumerated in article 279A of the Constitution). The threshold exemption and compounding scheme are optional.

- (xv) The list of exempted goods and services has been kept to a minimum and is harmonized for the Centre and the States as well as across States as far as possible.
- (xvi) All Exports and supplies to SEZs and SEZ units are zero-rated.
- (xvii) Credit of CGST paid on inputs may be used only for paying CGST on the output and the credit of SGST/UTGST paid on inputs may be used only for paying SGST/UTGST. In other words, the two streams of input tax credit (ITC) cannot be cross utilized, except in specified circumstances of inter-State supplies for payment of IGST. The credit would be permitted to be utilized in the following manner:
 - a) ITC of CGST allowed for payment of CGST & IGST in that order;
 - b) ITC of SGST allowed for payment of SGST & IGST in that order;
 - c) ITC of UTGST allowed for payment of UTGST & IGST in that order;
 - d) ITC of IGST allowed for payment of IGST, CGST & SGST/UTGST in that order.
 - e) ITC of CGST cannot be used for payment of SGST/UTGST and vice versa.
- (xviii) Accounts would be settled periodically between the Centre and the State to ensure that the credit of SGST used for payment of IGST is transferred by the originating State to the Centre. Similarly the IGST used for payment of SGST would be transferred by Centre to the destination State. Further the SGST portion of IGST collected on B2C supplies would also be transferred by Centre to the destination State. The transfer of funds would be carried out on the basis of information contained in the returns filed by the taxpayers.
- (xix) Input Tax Credit (ITC) has been broad based by making it available in respect of taxes paid on any supply of goods or services or both used or intended to be used in the course or furtherance of business.
- (xx) The returns are to be electronically filed by different class of taxable persons at different cut-off dates.
- (xxi) Various modes of payment of tax are available to the taxpayer including internet banking, debit/ credit card and National Electronic Funds Transfer (NEFT) / Real Time Gross Settlement (RTGS).
- (xxii) The law casts an obligation on certain persons including government

departments, local authorities and government agencies, who are recipients of supply, to deduct tax at the rate of 1% from the payment made or credited to the supplier where total value of supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees. This provision however has not been brought into force yet.

- (xxiii) Refund of tax can be sought by taxpayer or by any other person who has borne the incidence of tax within two years from the relevant date.
- (xxiv) The law mandates electronic commerce operators to collect 'tax at source', at such rate not exceeding two per cent. (2%) of net value of taxable supplies, out of payments to suppliers supplying goods or services through their portals. This provision however has not been brought into effect yet.
- (xxv) System of self-assessment of the taxes payable by the registered person.
- (xxvi) Audit of registered persons to be conducted in order to verify compliance with the provisions of Act.
- (xxvii) Limitation period for raising demand is three (3) years from the due date of filing of annual return or from the date of erroneous refund for raising demand for short-payment or non-payment of tax or erroneous refund and its adjudication in normal cases.
- (xxviii) Limitation period for raising demand is five (5) years from the due date of filing of annual return or from the date of erroneous refund for raising demand for short-payment or non-payment of tax or erroneous refund and its adjudication in case of fraud, suppression or willful mis-statement.
- (xxix) Arrears of tax to be recovered using various modes including detaining and sale of goods, movable and immovable property of defaulting taxable person.
- (xxx) Goods and Services Tax Appellate Tribunal would be constituted by the Central Government for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority. States would adopt the provisions relating to Tribunal in respective SGST Act.
- (xxxi) Provision for penalties for contravention of the provision of the proposed legislation has been made.
- (xxxii) Advance Ruling Authority would be constituted by States in order to enable the taxpayer to seek a binding clarity on taxation matters from the department. Centre would adopt such authority under CGST Act.
- (xxxiii) An anti-profiteering clause has been provided in order to ensure that business passes on the benefit of reduced tax incidence on goods or services or both to the consumers.
- (xxxiv) Elaborate transitional provisions have been provided for smooth transition of existing taxpayers to GST regime.

BENEFITS OF GST:

(A) Make in India:

- (i) Will help to create a unified common national market for India, giving a boost to Foreign investment and “Make in India” campaign;
- (ii) Will prevent cascading of taxes as Input Tax Credit will be available across goods and services at every stage of supply;
- (iii) Harmonization of laws, procedures and rates of tax;
- (iv) It will boost export and manufacturing activity, generate more employment and thus increase GDP with gainful employment leading to substantive economic growth;
- (v) Ultimately it will help in poverty eradication by generating more employment and more financial resources;
- (vi) More efficient neutralization of taxes especially for exports thereby making our products more competitive in the international market and give boost to Indian Exports;
- (vii) Improve the overall investment climate in the country which will naturally benefit the development in the states;
- (viii) Uniform SGST and IGST rates will reduce the incentive for evasion by eliminating rate arbitrage between neighboring States and that between intra and inter-State sales;
- (ix) Average tax burden on companies is likely to come down which is expected to reduce prices and lower prices mean more consumption, which in turn means more production thereby helping in the growth of the industries. This will create India as a “Manufacturing hub”.

(B) Ease of Doing Business:

- (i) Simpler tax regime with fewer exemptions;
- (ii) Reduction in multiplicity of taxes that are at present governing our indirect tax system leading to simplification and uniformity;
- (iii) Reduction in compliance costs - No multiple record keeping for a variety of taxes- so lesser investment of resources and manpower in maintaining records;
- (iv) Simplified and automated procedures for various processes such as registration, returns, refunds, tax payments, etc;
- (v) All interaction to be through the common GSTN portal- so less public interface between the taxpayer and the tax administration;
- (vi) Will improve environment of compliance as all returns to be filed online, input credits to be verified online, encouraging more paper trail of transactions;

- (vii) Common procedures for registration of taxpayers, refund of taxes, uniform formats of tax return, common tax base, common system of classification of goods and services will lend greater certainty to taxation system;
- (viii) Timelines to be provided for important activities like obtaining registration, refunds, etc;
- (ix) Electronic matching of input tax credits all-across India thus making the process more transparent and accountable.

(C) Benefit to Consumers:

- (i) Final price of goods is expected to be lower due to seamless flow of input tax credit between the manufacturer, retailer and supplier of services;
- (ii) It is expected that a relatively large segment of small retailers will be either exempted from tax or will suffer very low tax rates under a compounding scheme- purchases from such entities will cost less for the consumers;
- (iii) Average tax burden on companies is likely to come down which is expected to reduce prices and lower prices mean more consumption.

GOODS AND SERVICES TAX NETWORK:

10. Goods and Services Tax Network (GSTN) has been set up by the Government as a private company under erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956. GSTN provides three front end services to the taxpayers namely registration, payment and return. Besides providing these services to the taxpayers, GSTN is also developing back-end IT modules for 27 States who have opted for the same.

11. GSTN has selected more than 34 IT, ITeS and financial technology companies, to be called GST Suvidha Providers (GSPs). GSPs would develop applications to be used by taxpayers for interacting with the GSTN.

LEGISLATIVE DEVELOPMENTS:

12. Four Laws namely CGST Act, UTGST Act, IGST Act and GST (Compensation to States) Act have been passed by the Parliament on 12th April, 2017. All the States and Union territories with legislature have passed their respective SGST Acts. The economic integration of India was completed on 8th August 2017 when the State of J&K also passed the SGST Act and the Central Government also subsequently extended the CGST Act to J&K.

13. On 22nd June 2017, the first Notification was issued for GST and notified certain sections under CGST. Since then, various notifications have been issued under the various laws to notify sections, rules, amendment to rules, rates of taxes, extension of due dates, waiver of late fee etc. The corresponding notifications are being issued by all the States under the respective SGST Act.

14. Apart from notifications, various circulars, administrative orders,

instructions etc have been brought forth by the CBEC on various issues.

WAY FORWARD:

15. Though, GST has already been implemented from the 1st of July 2017 a number of implementation issues related to IT systems, legal challenges, exports, return filing and reconciliations, passing on transition credit, anti-profiteering in GST etc. are being faced by the Central and State Governments. In the current set-up the aim is to ensure that all these challenges / feedback effectively reaches the Government and both short term and long term solutions are provided. In view of the number of changes made so far in the rules and procedures, in order to ensure ease of doing business, it is envisaged that working on the feedback of trade and industry shall be a continuous process.

जीएसटी-अवधारणा एवं स्थिति

प्रस्तावना

1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवाकर को लागू करना भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्यों के द्वारा लगाए जा रहे करों को मिलाकर अकेला एक कर बना दिए जाने से करों की बहुतायत और दोहरे कराधान की समस्या हल हो जाएगी और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो, सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वस्तुओं पर लगने वाले कर के बोझ में कमी आ सकेगी। आज यह एक बोझ 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के लगभग है। जीएसटी के लागू किए जाने से भारतीय उत्पाद घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इससे आर्थिक विकास पर भी बहुत उत्साहजनक प्रभाव पड़ेगा और सबसे अंत में यह कहना है कि इस कर को लागू करना आसान होगा क्योंकि इसमें पारदर्शिता रहेगी और नीतियां स्वयं तैयार की जा सकेंगी।

उद्भव

2. जीएसटी के बारे में सबसे पहले तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री के दिमाग में आया था जिसको उन्होंने 2006-07 के बजट में व्यक्त किया था। शुरू-शुरू में जीएसटी को 1 अप्रैल, 2010 से लागू किए जाने का विचार था। राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति (ई.सी.) जिसने राज्यों में लगाए जाने वाले वैट की रूपरेखा तैयार की थी, से अनुरोध किया था कि वह जीएसटी के लिए भी मार्ग प्रशस्त करे और उसकी रूपरेखा तैयार करे। अधिकारियों का एक संयुक्त कार्यकारी दल, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के प्रतिनिधि थे, का गठन किया गया था, जिसका कार्य जीएसटी के विभिन्न पहलुओं की जांच-परख करना था और अपनी रिपोर्ट, विशेषकर छूट और निर्धारित (ग्रेशोल्ड) सीमा, सेवाओं पर कर लगाना/करारोपण और अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आपूर्तियों पर करारोपण के बारे में देना था। इनमें परस्पर तथा इनके और केंद्र सरकार के बीच हुए विचार-विमर्श के आधार पर इस शक्ति प्राप्त समिति (ई.सी.) ने नवंबर, 2009 में जीएसटी पर अपना प्रथम विमर्श पत्र (एफडीपी) जारी किया था। इसमें प्रस्तावित जीएसटी की विशेषताओं को बताया गया है और अब तक केंद्र और राज्यों के बीच चलने वाली बात-चीत का आधार तैयार किया गया है।

जीएसटी और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

3. इस समय वित्तीय शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन संविधान में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है और एक-दूसरे के क्षेत्र में किसी का कोई दखल नहीं है। केंद्र को वस्तुओं के विनिर्माण/उत्पादन पर (केवल मानव के द्वारा प्रयोग में आने वाले शराब, अफीम, मादक पदार्थों आदि को छोड़कर) पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। यदि बिक्री अंतर्राज्यीय होती है तब केंद्र को इस पर कर (केंद्रीय बिक्री कर) लगाने की शक्ति प्राप्त है लेकिन इस प्रकार के संपूर्ण कर को मूल राज्य वसूलता है और पूरा का पूरा अपने पास रख लेता है। जहां तक सेवाओं की बात है, सेवाकर को लगाने की शक्ति केवल केंद्र के पास ही है। चूंकि भारत में आयात किए जाने या भारत से निर्यात किए जाने के दौरान वस्तुओं की होने वाली बिक्री या खरीद पर राज्यों को कोई कर लगाने की शक्ति नहीं है अतः केंद्र ही वस्तुओं के आयात या निर्यात पर कर लगाता है और वही उसे वसूल भी करता है। यह कर अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप जाना जाता है जोकि आधारभूत सीमा शुल्क के अलावा होता है। इस अतिरिक्त सीमाशुल्क (जिसे सामान्यतया सीवीडी और एसएडी के नाम से जाना जाता है) उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, राज्य वैट और अन्य करों को संतुलित कर देता है जोकि इसी प्रकार के घरेलू उत्पादों पर लगाए जाते हैं।

4. जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि जीएसटी के लगाने और उसको वसूलने के लिए केंद्र और राज्यों को समवर्ती शक्तियां प्रदान की जा सकें। जीएसटी को लगाने के लिए केंद्र और राज्यों को समवर्ती क्षेत्राधिकार दिए जाने के लिए एक ऐसे अद्वितीय संस्थागत तंत्र की जरूरत पड़ेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जीएसटी की संरचना और इसके डिजाइन में तथा इसको लागू करने में केंद्र और राज्य के द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाएं। इसको कारगर बनाने के लिए ऐसे तंत्र के पास संवैधानिक शक्ति का होना जरूरी है।

संविधान (101 वां) संशोधन अधिनियम, 2016

5. इन सभी और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए दिनांक 19.12.2014 को 16 वीं लोकसभा में संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में मानव के उपभोग वाले एल्कोहल के अलावा अन्य सभी प्रकार

की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी के लगाए जाने का प्रावधान है। यह कर दोहरे जीएसटी के रूप में अलग-अलग लगाया जाएगा लेकिन इसे संघ (सीजीएसटी) और राज्यों (जिनमें संघ राज्य क्षेत्र जिनमें विधान सभा भी है) राज्य कर (एसजीएसटी) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (संघ राज्य कर- यूटीजीएसटी) के द्वारा समवर्ती रूप से लगाया जाएगा। संसद को वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य (जिसमें आयात भी शामिल है) पर जीएसटी (समेकित कर आईजीएसटी) को लगाने का अनन्य अधिकार होगा। केंद्र सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी के अलावा उत्पाद शुल्क को भी लगाने का अधिकार होगा। 5 विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् कूड, हाईस्पीड डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर कर का उदग्रहण, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर बताई जाने वाली किसी बाद की तारीख से किया जाएगा।

6. वस्तु एवं सेवाकर परिषद (जीएसटीसी) का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री (राजस्व) और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। इस परिषद का कार्य जीएसटी की दर, इससे छूट और इसकी थ्रेसहोल्ड सीमा, के बारे में सिफारिशें देना होगा। इसका कार्य यह भी होगा कि इसमें कौन-कौन से कर मिलाए जाएंगे, साथ ही यह इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में भी बताएगा। इस प्रकार के तंत्र से केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्य-राज्य के बीच जीएसटी के विभिन्न संदर्भों में कुछ हद तक एकरूपता लायी जा सकेगी। जीएसटी के कुल सदस्यों का आधा हिस्सा, जीएसटीसी की बैठकों का कोरम बनाएगा। जीएसटीसी की बैठकों में कोई भी निर्णय किए जाने वाले भारत मतदान के तीन-चौथाई के कम बहुमत से नहीं किया जाएगा। बहुमत के लिए केंद्र और न्यूनतम 20 राज्यों की आवश्यकता होगी क्योंकि कुल डाले गए मतों में केंद्र का वेटज एक-तिहाई और सभी राज्यों को मिलाकर उनका वेटज दो तिहाई होगा।

7. इसके पहले मई, 2015 में संविधान संशोधन विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। फिर इस विधेयक को 12.05.2015 को राज्यसभा की चयन समिति के पास भेज दिया गया था। इस चयन समिति ने 22.07.2015 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कुछ संशोधनों के साथ यह विधेयक राज्य सभा में अंतिम रूप से पारित हो गया। उसके बाद अगस्त 2016 में इसे लोकसभा ने पारित कर दिया। फिर अपेक्षित संख्या में राज्यों द्वारा इसकी अभिपुष्टि भी हो गई और 8 सितंबर, 2016 को इस पर राष्ट्रपति को सहमति भी हो गई और यह 16 सितंबर, 2016 से संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हो गया है।

वस्तु एवं सेवाकर परिषद (जीएसटीसी)

8. जीएसटीसी को 12 सितंबर, 2016 से अधिसूचित किया जा चुका है। जीएसटीसी की सहायता के लिए इसका एक सचिवालय भी है। अब तक इस जीएसटीसी की 23 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में जीएसटीसी ने निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए हैं-

(i) छूट की थ्रेसहोल्ड सीमा 20 लाख रूपए होगी। संविधान के अनुच्छेद 279क में उल्लिखित विशेष वर्ग के राज्यों के लिए छूट की थ्रेसहोल्ड सीमा 10 लाख रूपए निर्धारित की गई है।

(ii) कंपोजीशन थ्रेसहोल्ड 75 लाख रूपए होगी। कंपोजीशन स्कीम अंतर्राज्यीय आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं (रेस्तरां सेवाओं को छोड़कर) और विनिर्माणकर्ताओं के विशिष्ट वर्ग के लिए उपलब्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 279क में उल्लिखित विशेष वर्ग के राज्य (जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड को छोड़कर) के लिए थ्रेसहोल्ड छूट की सीमा 75 लाख रूपए निर्धारित की गई है।

(iii) केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही वर्तमान कर प्रोत्साहन योजनाओं को संबंधित सरकारें बजट के माध्यम से प्रतिपूर्ति करके जारी रख सकती है। ये योजनाएं अपने इसी रूप में जीएसटी के अंतर्गत नहीं चल सकती हैं। सीजीएसटी हिस्से की 50 प्रतिशत छूट सीएसडी (डिफेंस कैटीन) को दी जाएगी।

(iv) इसमें करों की चार दरें यथा 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत होगी। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कर की दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा, कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छूट प्राप्त मदों की सूची में रखा जाएगा। जीएसटी को लागू किए जाने से राज्यों को जो राजस्व की हानि होगी उसकी भरपाई किए जाने के लिए पांच वर्ष की अवधि कुछ विनिर्दिष्ट विलासिता तथा डिमेरिट वस्तुओं जैसे तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों, पान मसाला, सोडा वाटर, मोटर वाहनों पर 28 प्रतिशत की अधिकतम दर से उपकर लगाया जाएगा। ऐसी सेवाएं, जिन पर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा, उनकी सूची को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

(v) समेकित जीएसटी (समेकित आईजीएसटी) को वस्तुओं या सेवाओं की अंतर्राज्तीय आपूर्ति (जिसमें स्टाक ट्रांसफर भी शामिल है) पर लगाया जाएगा। इसे केंद्र द्वारा वसूला जाएगा ताकि 'क्रेडिट चैन' में कोई व्यवधान न आने पाए।

(vi) वस्तुओं के आयात को अंतर्राज्तीय आपूर्ति माना जाएगा और इस पर लागू सीमाशुल्क के अलावा आईजीएसटी लगेगा।

(vii) सेवाओं के आयात को अंतर्राज्तीय-आपूर्ति माना जाएगा और इनपर आईजीएसटी लगेगा।

(viii) सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी एवं आईजीएसटी को उस दर से लगाया जाएगा जिस पर केंद्र और राज्य जीएसटीसी के तत्वावधान में सहमत होंगे।

(ix) जीएसटी को निम्नलिखित करों की जगह लगाया जाएगा जिन्हें इस समय केंद्र लगा रहा है और वसूल रहा है-

(क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क;

(ख) उत्पाद शुल्क (औषधिक एवं प्रसाधन उत्पाद);

(ग) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं);

(घ) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद);

(ङ) अतिरिक्त सीमाशुल्क (जिसे सामान्यता सीवीडी के नाम से जाना जाता है);

(च) विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी);

(छ) सेवाकर ;

(ज) उपकर और अधिभार, जहां तक कि वे वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है;

(x) जो राज्य कर इस जीएसटी में मिलाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं-

(क) राज्य वैट;

(ख) केंद्रीय बिक्री कर;

(ग) खरीद कर;

(घ) विलासिता कर;

(ङ) प्रवेश कर (सभी प्रकार के);

(च) मनोरंजन कर (उनको छोड़कर जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाते हैं);

(छ) विज्ञापनों पर लगाया जाने वाला कर;

(ज) लाटरी, बेटिंग और गैबलिंग पर लगाए जाने वाला कर;

(झ) राज्य उपकर और अधिभार जहां तक वे सेवाओं या सामान की आपूर्ति से संबंधित हैं;

(xi) लोगों के द्वारा उपभोग किए जाने को, एल्कोहल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लागू होगा।

(xii) जीएसटी को पांच विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस) पर उस तारीख से लगाया जाएगा जिस तारीख से लगाने के लिए जीएसटी परिषद सिफारिश करेगी।

(xiii) तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र इस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाता रहेगा।

(xiv) एक सामान्य थ्रेशोल्ड छूट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पर ही लागू होगी। ऐसे करदाता जिनका कारोबार 20 लाख रूपए है, (संविधान के अनुच्छेद 279क में यथा विनिर्दिष्ट विशेष वर्ग के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) के लिए 10 लाख रूपए) को जीएसटी से छूट प्राप्त होगी।

(xv) एक विकल्प कंपाउंडिंग ऑप्शन (अर्थात बिना क्रेडिट के फ्लैट रेट पर कर अदा करने के लिए) उन छोटे मोटे करदाताओं को होगा (संविधान के अनुच्छेद 279क में उल्लिखित विशेष वर्ग के राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड को छोड़कर) के लिए 75 लाख रूपए) जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रूपए तक का होगा। थ्रेशोल्ड छूट और कंपाउंडिंग स्कीम वैकल्पिक होगा।

(xvi) छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की सूची छोटी से छोटी रखी जाएगी और यथा संभव इसे केंद्र और राज्यों के लिए और सभी राज्यों में एक समान रखा जाएगा।

(xvii) सेज तथा सेज-यूनिटों को किए जाने वाले सभी निर्यात तथा आपूर्तियां जीरो रेटेड होंगी।

(xviii) इनपुट्स पर भुगतान किए गए सीजीएसटी को क्रेडिट का प्रयोग केवल आउटपुट पर सीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है और इनपुट पर भुगतान किए गए एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का प्रयोग केवल एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विनिर्दिष्ट आईजीएसटी के भुगतान की अंतर्राज्यीय आपूर्ति की परिस्थितियों के अलावा अन्य किसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दो प्रकारों को एक दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस क्रेडिट का निम्नलिखित तरीके से प्रयोग किया जा सकता है-

(क) उसी क्रम के तहत सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग सीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है।

(ख) उसी क्रम के तहत एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग एसजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है।

(ग) उसी क्रम के तहत यूटीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है।

(घ) उसी क्रम के तहत आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है।

(ङ) सीजीएसटी के इनपुट क्रेडिट का प्रयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान में नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उल्टा हो सकता है।

(xix) केंद्र और राज्य के बीच समय-समय पर लेखा-जोखा होता रहेगा ताकि आईजीएसटी के भुगतान में प्रयोग किए जाने वाले एसजीएसटी के क्रेडिट का उद्भव-राज्य से केंद्र को अंतरण सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार एसजीएसटी के भुगतान में किए जाने वाले आईजीएसटी का केंद्र से गंतव्य राज्य को अंतरण हो सके। इसके अलावा बी2सी सप्लाय में वसूले गए आईजीएसटी के एसजीएसटी वाले हिस्से का केंद्र से गंतव्य राज्य को अंतरण होगा। इस प्रकार पैसे का अंतरण करदाताओं द्वारा दायर रिटर्न में दी गई जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

(xx) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का आधार विस्तृत होगा क्योंकि इसे किसी व्यापार के दौरान या इसको आगे बढ़ाने के दौरान वस्तु या सेवाओं का दोनों की किसी भी आपूर्ति पर भुगतान किए जाने वाले कर के संबंध में उपलब्ध कराया जाएगा।

(xxi) विभिन्न कटऑफ तारीख तक विभिन्न वर्ग के कर योग्य व्यक्तियों द्वारा अपने रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरना होगा।

(xxii) कर अदा करने के लिए करदाताओं के पास कई तरीके होंगे जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस);

(xxiii) ऐसे कतिपय व्यक्ति जो कि आपूर्ति को प्राप्त करने वाले होंगे जैसे कि, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी और सरकारी एजेंसियां भी आती हैं, यह दायित्व होगा कि वे जहां किसी अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रूपए (2.50 लाख रूपए) से अधिक हो, किए गए भुगतान में से या आपूर्तिकर्ता के क्रेडिट में से कर की कटौती कर लें। हालांकि ये प्रावधान अभी लागू नहीं किया गया है।

(xxiv) करदाता या ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने कर के भार का वहन किया है, प्रासंगिक तिथि से दो वर्षों के भीतर करों का रिफंड मांग सकता है।

(xxv) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपरेटर्स का यह दायित्व बनता है कि वे अपने पोर्टलों के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान में से स्रोत पर कर की कटौती कर लें जोकि कर वाली आपूर्तियों के निवल मूल्य के दो प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(xxvi) पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों के स्व-आकलन की प्रणाली।

(xxvii) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की लेखा-परीक्षा कराना।

(xxviii) मांग किए जाने की अवधि की सीमा वार्षिक रिटर्न को दायर किए जाने की अंतिम तारीख से या त्रुटि संबंधी रिटर्न की तारीख से तीन वर्ष की होगी या त्रुटि संबंधी रिटर्न भुगतान के कम होने या करों के भुगतान न होने या त्रुटिपूर्ण रिफंड और सामान्य मामलों में इसके न्यायनिर्णयन से संबंधित होगी।

(xxix) मांग किए जाने की अवधि की सीमा वार्षिक रिटर्न को दायर किए जाने की अंतिम तारीख से अथवा धोखा-धड़ी, अधिक्रमण या जानबूझ कर की गई गलत बयानी के मामलों में त्रुटि संबंधी रिटर्न भुगतान को कम होने या करों का भुगतान न होने के त्रुटिपूर्ण रिफंड और इसके न्यायनिर्णयन की तारीख से पाँच वर्ष की होगी।

(xxx) विभिन्न तरीकों को अपनाकर कर के बकाया की वसूली करना जिसमें कर जमा नहीं करने वाले वाले व्यक्तियों के सामानों, चल और अचल संपत्तियों को जब्त करना और उनकी बिक्री करना भी शामिल है।

(xxxi) अपील प्रधिकरणों और पुनःरीक्षण प्राधिकरण के द्वारा परित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायधीकरण की स्थापना करना। राज्य, संबंधित एसजीएसटी अधिनियम में प्राधिकरण के संबंध में प्रावधानों को अंगीकार करेंगे।

(xxxii) प्रस्तावित विधान के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में दंड लगाने का प्रावधान बनाया गया है।

(xxxiii) राज्य द्वारा एडवांस रूलिंग ऑथिरीटी की स्थापना की जाएगी, जिससे कि करदाता विभाग से कर संबंधी मामलों में अनिवार्यतः सुस्पष्टता का पता लगा सकें।

(xxxiv) मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधान किए गए हैं जिससे कि वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर करों में जो कटौती हो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना सुनिश्चित हो सके।

(xxxv) वर्तमान करदाता से जीएसटी की व्यवस्था के सहज अंतरण के लिए विस्तृत परिवर्तनीय प्रावधान बनाए गए हैं।

जीएसटी से लाभ

(क) मेक इन इंडिया-

- (i) से भारत में एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार पैदा होगा जिससे विदेशी निवेश को और 'मेक इन इंडिया' अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
- (ii) से करों के प्रपात को रोका जा सकेगा क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर तथा इनकी आपूर्ति के हर स्तर पर उपलब्ध होगा।
- (iii) से कानूनी प्रक्रियाओं और कर की दरों में एकरूपता आएगी।
- (iv) से निर्यात और उत्पादन क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार का और अधिक सृजन हो सकेगा। इस प्रकार जीडीपी में बढ़ोतरी होगी तथा लाभप्रद रोजगार पैदा होगा जिससे पर्याप्त आर्थिक विकास हो सकेगा।
- (v) से अंततः गरीबी के उन्मूलन में मदद मिलेगी क्योंकि इससे और अधिक रोजगार पैदा होंगे तथा औश्र वित्तीय संशाधन विकसित किए जा सकेंगे।
- (vi) से करों को संतुलित किया जा सकेगा विशेषकर निर्यातों के लिए क्योंकि इससे हमारे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा ले सकेंगे तथा भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- (vii) देश में समग्र निवेश के परिवेश में सुधार आएगा जिससे राज्यों के विकास में मदद मिलेगी।
- (viii) एसजीएसटी और आईजीएसटी की एक समान दरों से अपवंचन में कमी आएगी क्योंकि इससे पड़ोसी राज्यों में मनमानी दर नहीं लागू होगी तथा राज्य के भीतर तथा राज्य-राज्य की बिक्री में भी मनमानी दरें लागे होंगी।
- (ix) से कंपनियों पर औसत कर भार भी कम हो सकेगा जिससे कीमतों में भी कमी आने की संभावना है और कीमतों में कमी होने का मतलब है खपत में बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी। इससे भारत एक 'मैनुफेक्चरिंग हब' के रूप में उभरकर सामने आएगा।

(ख) इज ऑफ डूइंग बिजनेस

- (i) कर व्यवस्था आसान होगी और छूटों की संख्या बहुत कम होगी।
- (ii) करों की बहुतला में कमी आएगी जो कि इस समय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हावी है। इससे सरलाता और एकरूपता आएगी।
- (iii) अनुपालन लागत में कमी आएगी- क्योंकि तरह-तरह के करों को बनाए रखने के लिए ढेर सारे रिकार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी- इससे रिकार्डों को बनाए रखने के लिए संसाधनों और श्रमशक्ति में ज्यादा निवेश नहीं करना पड़ेगा।
- (iv) विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, करभुगतान इत्यादि की प्रक्रियाएं सरल और स्वचालित हो सकेंगी।
- (v) सारी बातचीत जीएसटीएन के सामान्य पोर्टल पर हो सकेगी। इससे करदाताओं और कर प्रशासन के बीच परस्पर बातचीत की जरूरत कम पड़ेगी।

- (vi) इससे ऑनलाइन दायर किए जाने वाले सभी प्रकार के रिटर्न के अनुपालन के परिवेश में सुधार आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑनलाइन सत्यापन हो सकेगा। और कागज रहित संव्यवहार को बढ़ावा मिलेगा।
- (vii) करदाताओं के पंजीकरण, करों के रिफंड, करों के रिटर्न के एक समान फारमेट, करों के सामान्य आधार वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य वर्गीकरण आदि से कर प्रणाली में ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चितता आएगी।
- (viii) पंजीकरण, रिफंड आदि जैसे प्रमुख क्रियाकलापों को समय से पूरा किया जा सकेगा।
- (ix) पूरे भारत वर्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट की इलेक्ट्रॉनिक मेंचिंग की जा सकेगी और इस प्रकार की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा उत्तर दायी होगी।

(ग) उपभोक्ताओं को लाभ

- (i) उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्वात प्रवाह के कारण वस्तुओं की अंतिम कीमतें कम हो सकेगी।
- (ii) ऐसी आशा है कि छोटे विक्रेताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ी होने से या तो इनको कर से छूट मिल सकेगी या इन पर कम दर से कर लगाया जा सकेगा। ऐसा एक संयुक्त योजना के तहत हो सकेगा- क्योंकि इन लोगों से खरीद करने में उपभोक्ताओं को ज्यादा व्यय नहीं करना पड़ेगा।
- (iii) कंपनियों पर औसत कर भार कम होगा जिससे कीमतों में कमी आने की उम्मीद है और कीमतों में कमी होने का मतलब है इनकी खपत में बढ़ोतरी होना।

वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क

10 सरकार द्वारा एतश्मिन पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक निजी कंपनी के रूप में वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) की स्थापना की गई है। यह जीएसटीएन तीन तरह की सेवाएं प्रदान करेगा जैसे कि करदाताओं के पंजीकरण, भुगतान और रिटर्न संबंधी सेवा। करदाताओं को इन सेवाओं को प्रदान करने के अलावा जीएसटीएन 25 राज्यों के लिए बैक-एंड आईटी मॉड्यूल्स स्थापित करेगा। यह राज्यों के लिए वैकल्पिक होगा।

11 जीएसटीएन ने 34 आईटी, आईटीईएस और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों का चयन किया है। जिनको जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) कहा जाएगा। जीएसपी ऐसा आवेदन तैयार करेगा जिसका कि करदाता जीएसटीएन के साथ संपर्क के लिए प्रयोग कर सकेंगे।

अन्य विधायी आवश्यकताएं

12 संसद ने चार कानूनों अर्थात् सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) एक्ट पारित किया है और इनको 12 अप्रैल, 2017 से अधिसूचित भी कर दिया गया है।

(v) जीएसटी ने पांच प्रकार के कानूनों को यथा सीजीएसटी कानून, यूटीजीएसटी कानून, आईजीएसटी कानून, एसजीएसटी कानून, और जीएसटी कंपेंसेशन की सिफारिश की है, जिसे बाद में संसद द्वारा पास कर दिया गया है।

(vi) सिंगल इंटरफेस सुनिश्चित करने के लिए 90 प्रतिशत करदाताओं पर, जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपए से कम का होगा, राज्य कर प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण होगा और 10 प्रतिशत पर केंद्रीय कर प्रशासन का नियंत्रण होगा। इसके अलावा, जिन करदाताओं का कारोबार 1.5 करोड़ रूपए से अधिक है उन पर 50 प्रतिशत केंद्र और 50 प्रतिशत राज्य कर प्रशासन का नियंत्रण होगा।

(vii) आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों को, कुछ अपवादों को छोड़कर सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियमों की तरह एक-दूसरे को भी दी जाएगी।

(viii) भू-क्षेत्री जल (टेरिटोरियल वाटर) में जीएसटी को वसूल करने की शक्ति केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदत्त की जाएगी।

(x) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लिए फार्मूला और तंत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है।

जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं

9 जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- (i) जीएसटी को वस्तुओं को विनिर्माण, या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान एवज में वस्तुओं या सेवाओं की "आपूर्ति" पर लगाया जाएगा।
- (ii) जीएसटी उत्पत्ति आधारित करारोपण के सिद्धांत के बदले गंतव्य आधारित उपभोग करारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा।
- (iii) यह एक प्रकार से दोहरा जीएसटी होगा, जिसमें केन्द्र और राज्य एक ही आधार पर साथ-साथ कर लगा सकते हैं। केन्द्र के द्वारा लगायी जाने वाली जीएसटी को केन्द्रीय कर-जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्यों के द्वारा (इनमें वे संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं जिनका अपना विधानमंडल है) लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी (राज्य कर) कहा जाएगा। बिना विधान मंडल वाले संघ राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को संघ राज्य जीएसटी (संघ राज्य कर) कहा जाएगा।